





फर्द अहकाम

सुदेश चन्द का बनाम भारत सैन्य का

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड  
केस संख्या 50 / 2023 प्र. पत्र अन्तर्गत धरा 34

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/9/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	<p>689-71 14/11/23</p>
13/11/23	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी आज अदालत/दौर/मिटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/12/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       रीडर                 </p>	
14/11/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। जमीन का कीलक तो चुकी है लेकिन जमीन की शेर जमीन के 7 की जमीन है तथा मजदूरी का कीलक है। नोटिस जारी है। पत्रावली दिनांक 14/11/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	
14/11/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्षों के मागज लकाराई/कार-2 मागज लकाराई पर जमीन खेप व अन्य सफाई कार्य के उपस्थित नहीं हैं जबकि जमीन के नोटिस जमीन के चुकी है। इसके उपरि उभयपक्षों के जमीन के नोटिस नहीं कर सफाई नहीं करता है। नए जमीन के नोटिस मागज पेशी में करिज किया जाता है। पत्रावली जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	